शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन/2025-26/6423 भोपाल, दिनांक 06.11.25

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय- शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ- 1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./मूल्यांकन/सी.सी.ई./2025-26/I/259475, भोपाल, दिनांक 13.05.25
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2024-25/3329, भोपाल, दिनांक 02.08.2024 एवं पत्र क्र./4008 दिनांक 29.08.2024

अकादमिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा-3 से 8 के लिए प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे-

1. **अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा-**

1.1 शासकीय शालाओं हेतु-

- समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 24 नवम्बर से 29 नवम्बर 2025 की अवधि में किया जाएगा। (कक्षावार एवं विषयवार समय-सारणी परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न)
- अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा।

1.2 अशासकीय शालाओं में-

- एकरूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5 एवं 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 24 नवम्बर से 29 नवम्बर 2025 की अवधि में संलग्न समय-सारणी (परिशिष्ट-1 एवं 2) अनुसार किया जाएगा।
- कक्षा 5 एवं 8 के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु विषयवार प्रश्नपत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2025 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाए। अशासकीय शालाओं में कक्षा 5 व 8 के प्रश्नपत्र राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित ब्लू प्रिंट (**संलग्न**) अनुसार शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे।

- वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों का अधिभार 20 अंक रहेगा। शाला द्वारा कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि **अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी।**
- शेष कक्षाओं (कक्षा 1 से 4, 6 व 7) में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन अशासकीय शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है।
- कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की 1-1 प्रति बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा करना - मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसे कक्षा-5 व 8 हेतु निर्धारित समय-सारणी अनुसार अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजित करने के उपरांत 05 दिसम्बर 2025 तक कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्नपत्रों की 1-1 प्रति बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे।
- बी.आर.सी.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसे की प्रत्येक शाला के कक्षा- 5 व 8 के विषयवार प्रश्नपत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाएं एवं उक्त सभी शालाओं के संस्था प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा कराया जाए –

प्रश्नपत्र प्रमाणीकरण प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि .... (शाला का नाम व डाईस कोड) में दिनांक 24 नवम्बर से 29 नवम्बर 2025 की अवधि में कक्षा 5 एवं 8 हेतु आयोजित अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 में इन प्रश्नपत्रों का उपयोग किया गया है।

हस्ताक्षर संस्था प्रमुख

संस्था की सील

- समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों से प्राप्त प्रश्नपत्रों को बी.आर.सी.सी द्वारा संबंधित जिले की डाईट में जमा कर पावती प्राप्त की जाए।

2. कक्षा-5 व 8 की परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था –

2.1 परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों का पंजीकरण- गतवर्षानुसार ही वर्तमान सत्र 2025-26 हेतु भी कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल (rskmp.in) का प्रावधान रहेगा। जिसके माध्यम से समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। कक्षा - 5 व 8 के छात्रों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा।

2.2 परीक्षा पोर्टल पर अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि- कक्षा 5 व 8 के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच 05 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात् परीक्षा पोर्टल (rskmp.in) पर विद्यार्थियों के विषयवार अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाएगी। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

3. प्रश्नपत्र का स्वरूप-

3.1 कक्षा 1, 2 हेतु-

- समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में विभिन्न विषयों- हिन्दी, गणित व अंग्रेजी में FLN आधारित आवधिक आकलन, प्रक्रिया अनुसार विषयवार किया जाए। इन कक्षाओं में पृथक से अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए।
- शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए (हिन्दी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु) राज्य द्वारा पृथक से कोई प्रश्नपत्र प्रदाय नहीं किये जाएंगे। कक्षा 1 व 2 हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका' में शिक्षकों हेतु मूल्यांकन टूल (उपकरण) एवं निर्देश (प्रक्रिया) दिए गए हैं, जिसके आधार पर विषयवार आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए।

3.2 कक्षा - 3 से 8 हेतु-

- गतवर्षानुसार ही शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों हेतु कक्षा 3 से 8 के लिए सभी विषयों हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन की योजना एवं कठिनाई स्तर का विवरण निम्नानुसार है-

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	पूर्णांक
• बहुविकल्पीय- (5 प्रश्न x 1 अंक =5 अंक) • रिक्त स्थान की पूर्ति- (5 प्रश्न x 1 अंक =5 अंक) • अतिलघुउत्तरीय- (6 प्रश्न x 2 अंक =12 अंक) • लघुउत्तरीय- (6 प्रश्न x 3 अंक =18 अंक) • दीर्घउत्तरीय- (4 प्रश्न x 5 अंक =20 अंक)	26	60

- प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर व कौशल-

कौशल	Knowledge/ Remembering 20%	Understanding 50%	Applying 20%	HOTS 10%
कठिनाई स्तर	Easy-20%	Average-50%	Difficult-30%	

4. शासकीय शालाओं हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण-

जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शासकीय शालाओं हेतु प्रश्नपत्रों का मुद्रण व वितरण शालावार-विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय-सीमा में कराया जाए। मुद्रण हेतु संदर्भित पत्र क्र.2 पर उल्लेखित दरों पर ही मुद्रण कार्य कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री के मुद्रण, वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा-

क्र.	सामग्री का विवरण	गणना का आधार
1	(कक्षा-3 से 8) कक्षावार- विषयवार प्रश्न पत्र मुख्य विषय हिन्दी माध्यम)	विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से (प्रति विद्यार्थी एक-एक प्रति)

2	*(कक्षा-3 से 8) अल्प भाषा/विषय के प्रश्न पत्र (अंग्रेजी,मराठी व उर्दू माध्यम)	जिले की शालाओं में कक्षावार अल्प भाषा/विषय के अध्ययनरत विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के मान से आवश्यकतानुसार मुद्रित कराएं जाएं।
3	शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र	प्रति कक्षा एक प्रति (कक्षा-3 से 8)

नोट - *जिन प्रश्न पत्रों की सॉफ्टकॉपी राज्य स्तर से प्रदाय की गई है, उन्हीं का मुद्रण कराया जाए। सॉफ्टकॉपी में प्रदाय विषयों के अलावा यदि किसी संस्था में किसी अन्य विषय का अध्यापन कराया जाता है तो उसके प्रश्नपत्र शाला स्तर से निर्मित कर अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन कराया जाए।

5. **शासकीय शालाओं हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्नपत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता-**

5.1 राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्नपत्र की सॉफ्टकापी की उपलब्धता-समस्त शासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु समस्त विषयों के कक्षावार प्रश्नपत्र व प्रपत्रों की सॉफ्टकॉपी (पीडीएफ फाइल में) दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक जिले की समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय-सीमा में प्रश्नपत्र मुद्रण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5.2 जिले स्तर से मुद्रित प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण- जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित प्रश्नपत्र के कक्षावार-विषयवार पैकेट व अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसीसी एवं जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 21 नवम्बर 2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ समय-सीमा में पहुँचाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक एवं संबंधित बी.आर.सी.सी. का रहेगा।

6. **उत्तरपुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना-** अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाए एवं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए।

7. **अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन परिणाम में 'E'** ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण उपरांत 15 दिसम्बर तक इन छात्रों हेतु पुन: मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाए यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्य हेतु राज्य स्तर से पृथक से समय-सारणी एवं प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

8. **शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान-** अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी गितविधियों में होने वाला समस्त व्यय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2025-26 के प्रतिभा पर्व मद से म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया जाए।

9. जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में प्रेस रिलीज जारी कराएं। समस्त शासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं तक निर्देश उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित हो सके।

10.अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों को निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

संलग्न- समय-सारणी (परिशिष्ट -1 व 2) एवं प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ. क्र./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन/2025-26/ 6424

भोपाल, दिनांक ..06.11.25

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म.प्र.आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र.।
7. सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड भोपाल।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
10. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग समस्त जिले म.प्र.।
11. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले म.प्र.।
12. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र.।
13. समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र.।
14. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
15. परीक्षा पोर्टल प्रभारी, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल म.प्र.।
16. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

परिशिष्ट-1

कक्षा- 3 से 5 अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन समय-सारणी वर्ष 2025-26

समय- प्रात: 10:00 से दोपहर 12:30 तक (कुल 2:30 घंटे)

क्र.	दिनांक	दिन	विषय
1.	24.11.2025	सोमवार	प्रथम भाषा- हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी
2.	25.11.2025	मंगलवार	गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)
3.	26.11.2025	बुधवार	द्वितीय भाषा- अंग्रेजी (जिनकी प्रथम भाषा हिन्दी/ उर्दू/ मराठी है) अथवा हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है)
4.	27.11.2025	गुरुवार	पर्यावरण अध्ययन
5.	28.11.2025	शुक्रवार	*अतिरिक्त भाषा- हिन्दी/ उर्दू

नोट-

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/ लेखक की सुविधा प्रदान की जाये।
2. प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी/ उर्दू/मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का चयन करना अनिवार्य होगा।
3. *अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है।
4. परीक्षा अवधि में स्थानीय/अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय-सारणी अनुसार संपन्न होगी।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

परिशिष्ट-2

कक्षा-6 से 8 अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन समय-सारणी वर्ष 2025-26

समय- प्रात: 1:30 से दोपहर 4:00 तक (कुल 2:30 घंटे)

क्र.	दिनांक	दिन	विषय
1.	24.11.2025	सोमवार	प्रथम भाषा- हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी
2.	25.11.2025	मंगलवार	गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)
3.	26.11.2025	बुधवार	द्वितीय भाषा- अंग्रेजी (जिनकी प्रथम भाषा हिन्दी/ उर्दू/ मराठी है) अथवा हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है)
4.	27.11.2025	गुरुवार	विज्ञान
5.	28.11.2025	शुक्रवार	तृतीय भाषा- संस्कृत / हिन्दी / उर्दू / मराठी
6.	29.11.2025	शनिवार	सामाजिक विज्ञान

नोट-

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/ लेखक की सुविधा प्रदान की जाये।
2. प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी/ उर्दू/मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का चयन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम भाषा के रूप में उर्दू/मराठी का चयन करने पर तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी का चयन करना अनिवार्य होगा।
4. परीक्षा अवधि में स्थानीय/अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय-सारणी अनुसार संपन्न होगी।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

अर्द्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025–26

परीक्षा का नाम– ....कक्षा– ....विषय–.................................. पूर्णांक–60

प्रश्न क्र.	प्रश्न का प्रकार Multiple Choice Questions - MCQ Fill In The Blanks - FIB Very Short Answer - VSA Short Answer - SA Long Answer - LA	कौशल Knowledge/ Remembering-K/R Understanding - U Applying - A High Order Thinking - HOTS	कठिनाई स्तर Easy - E Average - A Difficult - D	LO Code	अंक अधिभार
1.	MCQ				1 अंक
2.	MCQ				1 अंक
3.	MCQ				1 अंक
4.	MCQ				1 अंक
5.	MCQ				1 अंक
6.	Fill in the blank				1 अंक
7.	Fill in the blank				1 अंक
8.	Fill in the blank				1 अंक
9.	Fill in the blank				1 अंक
10.	Fill in the blank				1 अंक
11.	VSA				2 अंक
12.	VSA				2 अंक
13.	VSA				2 अंक
14.	VSA				2 अंक
15.	VSA				2 अंक
16.	VSA				2 अंक
17.	SA				3 अंक
18.	SA				3 अंक
19.	SA				3 अंक
20.	SA				3 अंक
21.	SA				3 अंक
22.	SA				3 अंक
23.	LA				5 अंक
24.	LA				5 अंक
25.	LA				5 अंक
26.	LA				5 अंक

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार–
• विषय के कौशल / लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न • बहुविकल्पीय–(5 प्रश्न × 1 अंक = 5 अंक) • रिक्त स्थान की पूर्ति–(5 प्रश्न × 1 अंक = 5 अंक) • अतिलघुत्तरीय–(6 प्रश्न × 2 अंक = 12 अंक) • लघुत्तरीय–(6 प्रश्न × 3 अंक = 18 अंक) • दीर्घउत्तरीय–(4 प्रश्न × 5 अंक = 20 अंक)	26	

Knowledge/ Remembering 20%	Understanding 50%	Applying 20%	HOTS 10%
Easy-20%	Average-50%	Difficult-30%	

नियंत्रक मूल्यांकन,
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल